न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/228

1. राजमल आत्मज गोबरीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम नरपतखेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
2. रामसिंह आत्मज गोबरीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम नरपतखेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. धन्नालाल आत्मज मोड़ूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम नरपतखेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
2. रूप सिंह आत्मज धन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम नरपतखेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।
3. पृथ्वीराज आत्मजधन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम नरपतखेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट संख्या 1
(2). नन्दसिंह हाडा– अधिवक्ता अपीलांट संख्या 2
(3). दयाराम सेन– अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3

निर्णय **दिनांक 22.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 01/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलांटगण प्रार्थीगण ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय

का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते मे ग्राम नरपत खेड़ी तहसील दीगोद मे अन्य भूमियों के साथ खसरा संख्या 256 की 0.67 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 260 की 0.70 हैक्टेयर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। उक्त भूमि की किस्म बारानी तृतीय है और उक्त भूमि नहर से सिंचित होती है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण ताकतवर आदमी है और प्रार्थीगण की उक्त भूमि के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करते रहते है तथा जबरन धोरा निकालने पर आमादा होते है तथा आये दिन लडाई झगड़ा करते है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की उक्त भूमि मे धोरा निकालने का तथा कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान मे उक्त भूमि मे गेहूँ की फसल खड़ी है। प्रतिपक्षीगण दिनांक 11.12.2020 को प्रार्थीगण की भूमि पर आये और प्रार्थीगण की भूमि मे होकर धोरा निकालने का प्रयास किया। मना करने पर बडी मुश्किल से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को रोका किन्तु अप्रार्थीगण ने जाते समय धमकी दी कि वे प्रार्थीगण की भूमि मे से धोरा निकाल कर रहेंगे। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 256 व 260 मे होकर धोरा निकाल दिया तो प्रार्थीगण की भूमि हमेशा के लिये बेकार हो जावेगी व गेहूँ की फसल खराब हो जावेगी तथा प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या केस , सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे होना बताते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 256 व 260 मे किसी प्रकार का धोरा नहीं खोदे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 19.09.2022 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 19.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि , न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम नरपतखेड़ी तहसील दीगोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.70 हैक्टेयर की आराजी अपीलांट के संयुक्त खातेदारी की शामलाती आराजी है, जिसके खातेदार अपीलांटगण है तथा निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी नहर से सिंचित होती है। अपीलांट की उक्त आराजी से रेस्पोडेन्टगण का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपना प्रकरण प्रथम दृष्ट्या केस सिद्ध कर देने के बावजूद भी प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट की आराजी की सिंचाई हेतु अपीलांट की आराजी मे कोई धोरा स्थित नहीं है और न ही कोई धोरा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। किन्तु फिर भी अपीलांट की आराजी मे रेस्पोडेन्ट का धोरा होना मानकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 256 व 207 मिली हुई है, जिसके बीच मे कोई सरकारी धोरा नहीं है। और न ही अपीलांट की आराजी मे रेस्पोडेन्ट को धोरा निकालने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त है, किन्तु रेस्पोडेन्ट प्रभावशाली एवं ताकतवर व्यक्ति होने से अपीलांट की आराजी मे जबरन धोरा निकालने पर आमादा है। यदि अपीलांट की आराजी मे रेस्पोडेन्ट द्वारा धोरा निकाला गया तो अपीलांट की आराजी दो भागों मे विभक्त हो जावेगी और अपूरणीय क्षति अपीलांट को होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नही हो सकेगी। किन्तु फिर भी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक अभियंता दायी नहर उपखण्ड सी.ए.डी. के पत्र को आधार मानकर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि सी.ए.डी. सुल्तानपुर को अपीलांट की आराजी मे से धोरा निकालने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और न ही अपीलांट की आराजी मे कभी कोई धोरा मौके पर अथवा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रहा है। रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के ध्येय से सहायक अभियंता द्वारा पत्र लिखा गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है, जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट को अपीलांट की आराजी मे धोरा निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक अभियंता जो कि न तो प्रकरण मे पक्षकार है और न ही अपीलांट को सुनकर सहायक अभियंता द्वारा कोई आदेश प्रदान किया गया है। स्वयं सहायक अभियंता द्वारा भी राजस्व रिकॉर्ड मे अथवा मौके पर धोरा नहीं होना स्वीकार किया है किन्तु फिर भी प्रार्थना–पत्र अपीलांट खारिज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 257 पर कोई धोरा मौके अथवा रिकॉर्ड मे नहीं बना हुआ है किन्तु फिर भी उक्त आराजी मे धोरा होना मान लिया जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। पटवारी हल्का टाकरवाड़ा की रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है और न ही उक्त रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति व जानकारी मे तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट तथ्यं एवं साक्ष्यों के बाद साबित होनी है जिसको आधार मानकर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 256 व खसरा सख्या 260 की भूमि के मध्य खसरा संख्या 257 गैर मुमकिन धौरा बना हुआ है, जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जिससे अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण अपनी भूमि को सिंचित करते चले आ रहे थे। परन्तु प्रार्थीगण ने उक्त धोरे की भूमि को हांक कर व खसरा नम्बर 256 व 260 की भूमि मे मिलाकर धोरा नष्ट कर दिया है। जिसको खुलासा

करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने सहायक अभियंता दायी नहर उपखण्ड सीएडी सुल्तानपुर को लिखा, जिन्होने अप्रार्थी संख्या 1 को अपने खर्चे पर उक्त धोरे को खुलासा करवाये जाने हेतु अधिकृत किया, जिसके आधार पर अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 257 का गैर मुमकिन धोरे को जो प्रार्थीगण ने बन्द व अवरूद्ध कर अपनी भूमि मे मिला लिया है, उसको खुलासा कर रहे हे। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि मे कोई धोरा नहीं खोद रहे है। उक्त धोरा प्रार्थीगण का निजी धोरा नहीं है बल्कि सरकारी सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया धोरा है, जिसको बन्द व अवरूद्ध करने का तथा धोरे की भूमि पर काश्त करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट की भूमि के कब्जे काश्त मे कोई व्यवधान पैदा नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को दिये गये आदेश की पालना मे धोरे को खुलासा कर रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त कार्य नहीं करने देने की बदनियती से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। न तो हमने पहले तथा न ही अब प्रार्थीगण की भूमि मे कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप किया है। प्रार्थीगण अपीलांट के कथन मिथ्या है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.09.2022 मे यहायक अभियंता की रिपोर्ट का हवाला दिया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील मे इस रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की है। परन्तु अपीलांट ने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि खसरा नम्बर 256 व 260 के मध्य खसरा नम्बर 257 गैर मुमकिन धोरा है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उन्होने कभी भी प्रार्थी अपीलांट के खसरा नम्बर 256 व 251 की भूमि मे कोई दखलंदाजी नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे स्पष्ट अंकित है कि धोरा संख्या 4 खसरा नम्बर 257 गैर मुमकिन को रामसिंह पुत्र गोबरीलाल द्वारा हांक कर नष्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार निर्णय मे पटवारी हल्का टाकरवाड़ा की रिपोर्ट का हवाला है जिसके अनुसार मौके पर रामसिंह पुत्र गोबरीलाल या अन्य द्वारा व्यवधान करने पर पुलिस की सहायता लेने का अंकन है। इससे प्रतीत होता है कि स्वयं प्रार्थी अपीलांट संख्या 2 खसरा नम्बर 257 मे व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने उनके खेत खसरा नम्बर 256 व खसरा नम्बर 260 मे किसी प्रकार की दखलंदाजी करने

से इन्कार किया है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे नहीं पाया जाता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी अपीलांट की भूमि मे कोई दखलंदाजी की हो, यह सिद्ध करने मे अपीलांट असफल रहे है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे नहीं है। चूंकि अपीलांट प्रार्थी अपने कथनों को प्रथम दृष्ट्या साबित करने मे असफल रहा। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अंकित रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि स्वयं प्रार्थी अपीलांट संख्या 2 ने प्रार्थीगण की भूमि के बीच स्थित खसरा नम्बर 257 गैर मुमकिन धोरा को क्षतिग्रस्त किया है। अतः प्रार्थी अपीलांट को अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 विधि सम्मत हे तथा उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 01/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 यथावत जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा